न्यायालय–सत्र न्यायाधीश कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

(पीठासीन न्यायाधीश–बी0पी0 वर्मा)

दांडिक अपील क्रं0 13 / 2022
संस्थित दिनांक 24 / 01 / 2022

आनंद दास महंत पिता झंगल दास,
उम्र– 18 वर्ष, निवासी भेलवागुड़ी, थाना–
उरगा, जिला– कोरबा (छ.ग.) –– –– **अपीलार्थी**

–:: **विरूद्ध** ::–

छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा जिला दंडाधिकारी कोरबा, (छ.ग.) –– –– **उत्तरवादी**

———————————————————————————

न्यायालय–श्री रूपनारायण पठारे, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक–2613 / 2021 छ.ग. राज्य विरूद्ध आनंददास महंत, अंतर्गत धारा–457, 511 भा0दं0संहिता में पारित निर्णय दिनांक–27 / 12 / 2021 से उद्भूत दाण्डिक अपील।

———————————————————————————

अपीलार्थी की ओर से श्रीमती मीनू त्रिवेदी विधिक सेवा से नियुक्त अधिवक्ता।
उत्तरवादी / राज्य की ओर से श्री रोहित राजवाड़े लोक अभियोजक

———————————————————————————

–:: **निर्णय** ::–

(आज दिनांक– 25 / 02 / 2022 को घोषित)

(1) श्री रूपनारायण पठारे, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक–2613 / 2021 छ.ग. राज्य विरूद्ध आनंददास महंत, अंतर्गत धारा–457, 511 भा0दं0संहिता में दिनांक 27 / 12 / 2021 को घोषित निर्णय एवं दण्डादेश के जरिये अपीलार्थी / आरोपी को भा0दं0संहिता की धारा–457 एवं धारा– 511 के तहत अपराध का दोषी होना ठहराते हुए उसे धारा– 457 भा0दं0संहिता के अपराध के लिए 06 माह का सश्रम कारावास और 100 / – रूपये अर्थदण्ड, धारा– 511 भा0दं0संहिता के अपराध के लिए 06 माह का सश्रम कारावास और 100 / – रूपये अर्थदण्ड से और अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम होने पर 01–01 माह का साधारण कारावास की सजा भुगताये जाने का आदेश दिया गया है तथा आरोपी को दी गयी सजा आरोपी द्वारा पूर्व में भुगती गयी सजा में विधिवत् मुजरा किये जाने एवं आरोपी को दी गयी दोनो धाराओं की सजा साथ–साथ

भुगताये जाने का आदेश दिया गया है। इसी दोषसिद्धि एवं प्रदत्त दण्डादेश के विरूद्ध अपीलार्थी/आरोपी द्वारा दं0प्र0संहिता की धारा–374 (3) के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी गोपाल सिंह दिनांक 21/08/21 को थाना बालको नगर में इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 20/08/21 के रात्रि में खाना खाकर सो गया था। तभी दिनांक–21/08/21 के रात्रि करीब 2:30 बजे आवाज सुनकर उठा, तब आसपास कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसका लड़का चोर–चोर कहकर चिल्लाने पर वह जाकर देखा तब घर के अंदर एक अनजान लड़का घुसकर चोरी करने के लिए सामान खोज रहा था, जिसे पकड़कर पूछने पर बताया कि छानी तरफ से कुदकर आया है और नाम पूछने पर अपना नाम आनंद दास महंत भेलवापुरी मड़वारानी बताया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बालको नगर में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर गवाहों के कथन लिये, मौका नक्शा तैयार किया तथा आरोपी की गिरफ्तारी की गई। विवेचना पूर्ण कर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध के भा0दं0संहिता की धारा–457, 511 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया।

(3) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी/आरोपी के उपर भा0दं0संहिता की धारा–457 एवं धारा–511 के तहत दोषारोपण कर विचारण प्रारम्भ किया गया। आरोपी ने आरोपों को अस्वीकार किया। अभियुक्त परीक्षण में वह स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना कहा है। अभियुक्त द्वारा सफाई में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

(4) विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई उपरान्त अपने आलोच्य निर्णय दिनांक– 27/12/2021 के जरिये अपीलार्थी/आरोपी को भा0दं0संहिता की धारा–457 एवं धारा–511 के तहत अपराध का दोषी होना ठहराते हुए उपर कंडिका–1 में वर्णित दण्ड से दण्डित किया है। इसी दोषसिद्धि की उत्पत्ति व प्रदत्त दण्डाज्ञा से व्यथित होकर अपीलार्थी/ आरोपी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

(5) <u>अपील का आधार मुख्यतः यह है कि</u> :–

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की उचित विवेचना न कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस कथन के विपरीत न्यायालय में कथन किया है जिसमें एकरूपता नहीं है। प्रार्थी के प्रतिपरीक्षण में आये तथ्यों पर विरोधाभाष होने के बावजूद विद्वान न्यायाधीश के द्वारा विचार नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा निर्मित तथ्यात्मक बातों तथा प्रार्थी के न्यायालयीन कथन के तुलनात्मक तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। प्रार्थी द्वारा आरोपी को दुश्मनी व विद्वेष के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है। मामले में किसी स्वतंत्र साक्षी का कथन नहीं कराया है जिससे प्रार्थी के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रार्थी एवं अभियोजन साक्षियों के कथनों में घोर लोपता एवं विरोधाभाष के तथ्यों का अपार संग्रह है। थाने में घटना की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराया गया है। अतः अपील स्वीकार कर आरोपी को दोषमुक्त किया जावे।

(6) इस अपील के निराकरण के लिये अवधारणीय प्रश्न यह है किः–

> **''क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराने एवं दण्डादेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की ऐसी कोई त्रुटि की है, जो अपीलीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य है ?''**

–:: <u>**निष्कर्ष एवं उसके आधार**</u> ::–

(7) मेरे द्वारा उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में दांडिक प्रकरण क्रमांक– 2613/2021, छ.ग.राज्य वि0 आनंद दास महंत का अवलोकन किया गया तथा विचारण न्यायालय के समक्ष साक्षी गोपाल सिंह (अ.सा.1), भारतेन्दु (अ.सा.2), श्रीमती तारा सिंह (अ.सा.3) एवं प्र.आ. पृथ्वी राज मोहंती (अ.सा.4) का जो कथन आया है उस पर विचार किया गया।

(8) प्रार्थी गोपाल सिंह (अ.सा.1) के कथनानुसार घटना की रात करीब 02:00 –02:30 बजे वह अपने घर में सोया था। छत में एस्बेस्टस

का शीट लगा हुआ है, उसमें आवाज आने पर उसे लगा कि बिल्ली होगी। फिर वह वापस सो गया। दूसरे कमरे में आंगन के पास उसका लड़का भारतेंदु सोया हुआ था, उसका मोबाईल दरवाजे पास चार्जिंग में लगा हुआ था। एक व्यक्ति मकान में घुसा और मोबाइल की रोशनी से उसके लड़के के कमरे में देख रहा था तब उसका लड़का देखा कि मोबाईल का लाईट क्यों जल रही है, उसका लड़का उठकर देखा कि एक व्यक्ति कमरे में घुसा है तब चोर है चोर है कहकर चिल्लाया तब वह और उसकी पत्नी तारावती उठ गये और लड़के के कमरे की तरफ गये तब तक आरोपी आंगन तरफ भाग रहा था वे लोग मिलकर आरोपी को आंगन में पकड़ लिये।

(9) गोपाल सिंह (अ.सा.1) के अग्रेत्तर कथनानुसार जब उसने थाना बालको में फोन किया तब किसी ने फोन नहीं उठाया तब उसकी पत्नी और उसके लड़के आरोपी को पकड़कर रखे थे और वह थाना जाकर घटना के बारे में बताया तब थाना बालको नगर से पुलिस वाले आये तथा आरोपी को अपने साथ थाना बालको नगर लेकर चले गये। उसने अपने लड़के के साथ थाना बालको नगर जाकर घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 दर्ज कराया।

(10) साक्षी गोपाल सिंह (अ.सा.1) के उक्त कथनों का समर्थन करते हुए उसके पुत्र भारतेन्दु (अ.सा.2) ने अपने कथन में बताया है कि घटना रात्रि के करीब 02.00–02.30 बजे की है रात्रि करीब दो बजे वह बाथरूम करने के बाद वापस आकर अपने बिस्तर पर लेटा ही था, नींद नहीं लग रहा था। बगल वाले कमरे में उसकी मां एवं पिताजी सोये हुए थे। तभी कमरे में एक व्यक्ति मोबाईल का फ्लैस लाईट चालू कर अंदर आया था उसने सोचा कि कमरे में कौन इस तरह से मोबाईल लेकर घुसा है। फिर उसने बिस्तर से उठकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को बाहर लाया और चोर है, चोर है की आवाज लगाया तब उसके पिताजी व मां कमरे से बाहर आ गये । जिस व्यक्ति को पकड़े थे वह शराब पिया हुआ था और उसने अपना नाम महंत करके बताया था। उस व्यक्ति को उन लोग बांधकर रखे थे और उसके पिताजी थाना बालको नगर जाकर पुलिस को खबर दिये। पुलिस वाले आकर आरोपी को थाना ले गये, उन लोग भी साथ में थाना गये थे। साक्षी के अग्रेत्तर कथनानुसार आरोपी दीवाल

फांदकर आंगन में आये थे, आंगन से उसका कमरा लगा हुआ है, जहां दरवाजा खुला हुआ था, वहीं से आरोपी ने घुसना बताया था।

(11) श्रीमती तारावती देवी (अ.सा.3) ने भी अपने पति प्रार्थी गोपाल सिंह, व अपने पुत्र भारतेन्दु के कथन का समर्थन करते हुए अपने न्यायालयीन कथन में बतायी है कि रात के समय उसका लड़का भारतेन्दु अपने कमरे में तथा बगल वाले कमरे में वे लोग सोये हुए थे। उसके पुत्र का मोबाईल कमरे के बाहर परछी में चार्जिंग में लगाया हुआ था । उसका बेटा रात के समय एक व्यक्ति को पकड़कर चोर है, चोर है, कहकर आवाज लगाया तब वे लोग उठ गये और बाहर आये और उस व्यक्ति को देखे थे। उसने अपना नाम महंत करके बताया था। वह व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा था लेकिन उसे पकड़कर रखे थे। उसका पति घटना की सूचना देने थाना बालको गये थे। तब बालको पुलिस वाले आकर आरोपी को अपने साथ लेकर थाना बालको गये थे। आरोपी उसके लड़के के मोबाईल को लेकर कमरे में गया था।

(12) हालांकि साक्षियों के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में कुछ विरोधाभाष व विलुप्ति आई है परन्तु प्रार्थी गोपाल सिंह (अ.सा.1) व साक्षी भारतेन्दु (अ.सा.2) एवं श्रीमती तारावती देवी (अ.सा.3) जो रिश्ते में पिता, पुत्र एवं पत्नी है, के कथनों में यह बात स्पष्ट रूप से आई है कि घटना की रात वे लोग घर में सोये थे। तब आरोपी रात में उनके घर में घुसकर मोबाईल की रोशनी में चोरी करने के लिए सामान देख रहा था, तब भारतेन्दु (अ.सा.2) के द्वारा आरोपी को पकड़कर चोर–चोर चिल्लाने पर उसके पिता गोपाल सिंह व मां तारावती देवी जो घर में सोये थे उठकर आये और आरोपी को पकड़कर आंगन में रखे और पुलिस वाले को सूचना देने पर थाना बालको से पुलिस वाले आकर आरोपी को थाना ले गये तथा प्रार्थी की सूचना पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। प्रतिपरीक्षण में साक्षियों का उक्त कथन अखंडित रहा है। अतः साक्षियों के कथनों में आई कुछ विरोधाभाष एवं विलुप्तियों के आधार पर उनके उक्तानुसार सम्पूर्ण कथनों को अविश्वसनीय मानकर त्यक्त नहीं किया जा सकता।

(13) विवेचक पृथ्वी राज मोहंती प्र.आ. (अ.सा.5) के द्वारा मामले में विवेचना कार्यवाही की गई है और विवेचना के दौरान प्रार्थी की शिकायत प्राप्त होने के तत्काल बाद दिनांक 21/08/21 को ही घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रार्थी गोपाल सिंह के बताये अनुसार घटना स्थल का मौका नक्शा प्र0पी0 2 तैयार किया गया और गवाह गोपाल सिंह, भारतेंदु सिंह एवं श्रीमती तारा देवी का कथन उनके बताये अनुसार लिखा गया। प्रार्थी (अ.सा.1) ने भी मौका नक्शा प्र0पी0 2 पर हस्ताक्षर करना व पुलिस ने मौका नक्शा तैयार करना बताया है।

(14) शिकायतकर्ता/प्रार्थी गोपाल सिंह ने घटना के तत्काल बाद दिनांक 21/8/21 के सुबह थाना बालको नगर में प्र.पी.1 का दर्ज कराया है और पुलिस ने घटना स्थल पर ही आरोपी को पकड़कर थाना लाकर गिरफ्तार किया है तथा साक्षियों का कथन लेखबद्ध किया है। घटना घ ार के अंदर रात्रि के समय की है इसलिए घटना के समय उपस्थित घर के सदस्यों का ही कथन लेखबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अन्य किसी स्वतंत्र साक्षियों के कथन नहीं लेने मात्र से मामले में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। आरोपी को रात के समय ही प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा घर के अंदर पकड़ा गया है। मध्य रात्रि में अपरिचित व्यक्ति द्वारा किसी के घर के अंदर बिना बताये चोरी छिपे घुसना आपराधिक आशय को ही प्रगट करता है। रात्रि के समय आरोपी द्वारा मोबाईल की रोशनी जलाकर घर के अंदर घुसना और पकड़े जाने की स्थिति में भागने का प्रयास करना, आरोपी के चोरी करने के नियत से ही घर के अंदर घुसना आरोपी की मंशा को दर्शित करता है। प्रार्थी से या अभियोजन साक्षियों से आरोपी का पूर्व से कोई रंजिश रहा हो, जिसके कारण आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया हो, इस प्रकार का कोई तथ्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं है तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षियों को उक्तानुसार कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है।

(15) इस प्रकार अभियोजन की ओर से आये साक्ष्य की उक्त विवेचना के आधार पर संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि

अपीलार्थी/आरोपी ने दिनांक 21/08/2021 के दरम्यानी रात में प्रार्थी के घ ार प्रवेश कर चोरी करने का प्रयत्न किया है और उक्त आधार पर ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख में आये साक्ष्य की उचित रूप से विस्तृत समीक्षा करते हुए अपीलार्थी/आरोपी को भा0दं0संहिता की धारा–457 एवं धारा–511 के तहत अपराध का दोषी होना ठहराया गया है, जो किसी भी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होना प्रतीत नहीं होता है। अतः दोषसिद्धि के बिंदु पर अपीलार्थी/आरोपी की यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

(16) जहां तक प्रश्न दण्डादेश का है तो अपीलार्थी/आरोपी के विरूद्ध भा0दं0संहिता की धारा–457 एवं धारा–511 के तहत अपराध प्रमाणित हुआ है जिसके संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को भा0दं0संहिता की धारा–457, 511 में क्रमशः 06 माह, 06 माह का सश्रम कारावास एवं 100/–रूपये, 100/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि संदाय करने में व्यतिक्रम किये जाने पर उसे एक–एक माह का साधारण कारावास भुगताये जाने का आदेश तथा मुख्य कारावास की सजा साथ–साथ भुगताये जाने का आदेश दिया गया है।

(17) भारतीय दण्ड संहिता में धारा– 457, के अपराध के लिये जिसका आशय चोरी हो तो उस अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराये गये व्यक्ति को 14 वर्ष, तक की सजा एवं जुर्माना तथा धारा– 511 भा0दं0सं0 के अपराध में जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध करने का प्रयत्न करेगा जिसके बारे में कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की सजा एवं जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनो से दंडित किये जा सकने का प्रावधान है । विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को भा0दं0संहिता की धारा–457 एवं 511 के अपराध में क्रमशः 06 माह, 06 माह का सश्रम कारावास एवं 100/–रूपये, 100/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि संदाय करने में व्यतिक्रम किये जाने पर उसे एक–एक माह का साधारण

कारावास भुगताये जाने का आदेश तथा मुख्य कारावास की सजा साथ–साथ भुगताये जाने का आदेश दिया गया है, जो किसी भी दृष्टि से अधिक अथवा अनुचित प्रतीत नहीं होता। अतः दण्डादेश के संबंध में भी अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत यह अपील हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

(18) उक्त विवेचना के आधार पर मैं यह पाता हूं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को भा.द.वि. की धारा–457 एवं धारा–511 के तहत् दोषसिद्ध एवं दण्डित कर कोई त्रुटि नहीं की गई है। परिणामस्वरूप विद्वान विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी/आरोपी की ओर से पेश यह दाण्डिक अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(19) विचारण न्यायालय के अभिलेख के अनुसार आरोपी दिनांक–21/08/2021 से न्यायिक अभिरक्षा में रहा है और विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27/12/2021 को निर्णय घोषित कर आरोपी को सजा भुगताये जाने हेतु सजा वारंट तैयार कर जिला जेल कोरबा प्रेषित किया गया है। इस अपील के विचारण के दौरान भी आरोपी विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा भुगतने हेतु जिला जेल कोरबा में निरूद्ध है। अतः आरोपी को इस निर्णय की प्रति जेल अधीक्षक जिला जेल कोरबा को ज्ञापन के साथ प्रेषित किया जावे।

(20) जप्तशुदा सम्पत्ति के निर्वर्तन के संबंध में विचारण न्यायालय का आदेश यथावत् रखा जाता है, पुनरीक्षण होने पर मान्नीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेशानुसार उसका निराकरण किया जाये।

उपरोक्तानुसार अपील का निराकरण किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

कोरबा,
दिनांक– 25/02/2022

सही/–
(बी0पी0 वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
कोरबा (छ0ग0)